

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी, निवेदन है कि राजस्थान ग्राम पावटा की खाता सं. 46, में गार्गी का नाम बाबरिया पुत्र भुरा रेवारी दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि गार्गी के अन्य सभी दस्तावेजों में नाम बाबर रेवारी दर्ज रिकॉर्ड है और राजस्थान रिकॉर्ड में भी गार्गी का नाम बाबरिया ही बजाय बाबर रेवारी फिला जाता उचित है।

किशन लाल मुखार
पटवारी

उप-नायब तहसीलदार मण्डल...
मावली, जिला उदयपुर

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

1976
04/12/25

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं भू. अ. निरीक्षण के गार्गी का नाम राजस्थान रिकॉर्ड में बाबरिया की बजाय बाबर रेवारी फिले जाने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार, मावली
जिला-उदयपुर (राज.)

उ.सं. - 257/25

आदेश

दिनांक - 10/12/2025

रिपोर्ट तहसीलदार एवं गार्गी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार ग्राम पावटा की खा.सं. 46 में गार्गी का नाम बाबर रेवारी दर्ज किये जाने की स्वीकृति कि जाती है।



उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) मावली
मावली, जिला उदयपुर